



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2014—भाद्र 3, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्र. एफ ए 1-6-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में अनुक्रमांक “सत्तावन-जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी टेक्नालॉजी)” का लोप किया जाए.
2. अनुसूची में,—
 - (क) शीर्षक “दस-वन विभाग” के अधीन,—
 - (एक) भाग (अ) में, अनुक्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात्,—

“8. जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का अविरत उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत होने वाले लाभों का समान बंटवारा.
9. जैविक तथा नृजाति जैविक (इथनो बायोलाजीकल) संसाधनों का सूचीकरण, जिसमें प्राणी-विज्ञान-सम्बन्धी तथा वनस्पति सम्बन्धी सर्वेक्षण सम्मिलित है.
10. (क) बायोस्फीयर रिजर्व, तथा
 - (ख) प्राकृतिक विरासत स्थलों, जिसमें वनस्पतिक उद्यान तथा वेटलैंड सम्मिलित हैं, का सृजन, अधिसूचना, समन्वय तथा अनुश्रवण.
11. अनुवांशिक संसाधनों की विनियामक संरक्षण योजना.”.

(दो) भाग (उ) में, अनुक्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात्—

“5. मध्यप्रदेश जैव विविधता (बायोडाइवर्सिटी) बोर्ड.”.

(ख) शीर्षक “इकतालीस-विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग” के अधीन,—

(एक) भाग (अ) में, अनुक्रमांक 11-अ-(16) के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात्—

“11-अ-(17). जैव प्रौद्योगिकी में समेकित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का विस्तार करना, जिसमें संबंधित उद्योगों का उन्नयन सम्मिलित है.

(18). जैविक संसाधनों तथा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान तथा विकास के लिये उत्कृष्टता केन्द्रों की पहचान करना, स्थापना करना तथा सहयोग करना.

(19). निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य करना :—

(क) जैविक तथा जैव प्रौद्योगिकीय उत्पाद तथा उनके मध्यवर्ती उत्पाद के विनिर्माण के लिये नई प्रौद्योगिकी का आयात तथा हस्तांतरण करना, तथा

(ख) आनुवांशिक रूप से नियंत्रित पदार्थों, संवर्धित कोशिकाओं (सेल्स), नमूनों, टिशु और जैविक उत्पादों का आयात एवं राज्य में उनके उत्पादन में अभिवृद्धि करना.

(20). जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के लिये जनशक्ति विकास की योजना उन्नयन तथा समन्वय.”.

(दो) भाग (उ) में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाएं, अर्थात्—

“4. मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) परिषद्.”.

(ग) शीर्षक “सत्तावन-जैव विविधता (बायो डाइवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) विभाग” और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्र. एफ 1-6-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6-2014-एक-(1), दिनांक 25 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 25th August 2014

No. F A 1-6-2014-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2,-serial number "**LVII-BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY DEPARTMENT**" shall be omitted;
2. In the Schedule,—
 - (a) Under the heading "**X-FOREST DEPARTMENT**",—
 - (i) In part (A), after serial number 7, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—

"8. Conservation of biodiversity, sustainable use of its components and equitable sharing of benefits arising out of utilization of biological resources.

9. Inventorization of biological and ethno-biological resources, including zoological and botanical survey.

10. Creation, notification, coordination and monitoring of (a) biosphere reserves and

 - (a) biosphere reserves and
 - (b) natural heritage sites, including botanical gardens and wetlands.

11. Regulatory protection plans of genetic resources."
 - (ii) In part (E), after serial number 4, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

"5. Madhya Pradesh Biodiversity Board."
 - (b) Under the heading "**XLI-SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT**",—
 - (i) In part (A), after serial number 11-A-(16), the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—

"11-A-(17). To evolve intergrated plans and programmes in biotechnology including promotion of related industries.

(18) Identify, set up, and support centres of excellence for research and Development relating to biological resources and biotechnology.

(19) To act as the nodal department of the State Government for purpose of :—

 - (a) import and transfer of new technology for manufacture of biological and botechnological products and their intermediates; and
 - (b) import of genetically manipulated materials, cultures cells, specimens, tissues and biotech products and for promoting their production in the State;

(20) Planning, promotion and coordination of manpower development for various activities relating to bio-technology."
 - (ii) In part (E), after serial number 3, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—

"4. Madhya Pradesh Biotechnology Council."
- (c) Heading "**LVII-BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY DEPARTMENT**" and entries relating thereto shall be omitted;

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.